अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान पार्टीशन सूट संख्या– 09/2011–12

(10)

सुलबु सरदार।
बनाम
विश्वनाथ बिरूवा एवं 14 अन्य।

आदेश

यह वाद दिनांक– 05.08.2011 को वादी सुलबु सरदार, पिता– स्व० दुका हो, ग्राम– सोसोपी, पो०+थाना– मंझारी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule 'B' एवं 'C' में वर्णित भूमि के एवज में प्रतिवादी विश्वनाथ बिरूवा, पिता– स्व० माटाये हो एवं 14 अन्य के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से उभय पक्षों द्वारा कोई पैरवी नहीं करने के कारण अंचल अधिकारी, मंझारी को नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उभय पक्ष द्वारा नोटिस लेने के बाद भी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों को वाद भूमि में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11.04.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

11.04.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Digitally signed by Kamleshwar Narayan
Date: 2024.07.05 17:06:17 +05:30
Location: 192.168.29.87

Scanned with OKEN Scanner